न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 131 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
चुनाराम पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी रामसर कुंआ बेरवाला तला, तहसील व जिला बाड़मेर	1. प्रहलादराम पुत्र मोडाराम 2. गोमाराम पुत्र वीरमाराम का.मु. 2/1नोजी पत्नी गोमाराम 2/2जगदेव पुत्र गोमाराम 2/3पार्वती पुत्री गोमाराम 2/4शुकीया पुत्री गोमाराम 3. चैनाराम पुत्र वीरमाराम 4. धनाराम पुत्र वीरमाराम 5. लाधुराम पुत्र वीरमाराम 6. धर्माराम पुत्र अचलाराम 7. बन्नाराम पुत्र अचलाराम 8. भीखाराम पुत्र अचलाराम 9. चंपा देवी पत्नी अचलाराम 10. अणदाराम पुत्र गिरधारीराम का.मु.10/1हरूराम पुत्र अणदाराम 10/2प्रदीप पुत्र रेखाराम 10/3नैनु पत्नी रेखाराम 10/4पवनी पत्नी हरखाराम 10/5गुड़ीया पुत्री हरखाराम 10/6मंजु पुत्री हरखाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती नैनु पत्नी हरखाराम जाति जाट निवासी रामसर कुंआ बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर 10/7 पुरो पुत्री अणदाराम पत्नी जसाराम जाति जाट निवासी कालेवा तहसील पचपदरा 10/8चम्पा पत्नी अणदाराम जाति जाट निवासी रामसर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	कुंआ, तहसील व जिला बाड़मेर 11. शाखा प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक चवा 12. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 78/2022 बअनवान प्रहलादराम बनाम गोमाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.03.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री विष्णु चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भोमाराम सियाग रेस्पोडेंटस संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री कैलाश एन सारण रेस्पोडेंटस 02, 04 से 07, 09 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—24.12.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 09 के संयुक्त खातेदारी के पैतृक खेत मौजा रामसर का कुआ पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा संख्या 1074/810, खसरा संख्या 1075/810, खसरा संख्या 755, खसरा संख्या 756, खसरा संख्या 757, खसरा संख्या 935/810 के आये हुए है। विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 09 के पूर्वजों को पैतृक रूप से प्राप्त हुई जिस पर वक्त सेटलमेंट वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 09 का नाम दर्ज हुआ इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/30 हिस्सा व वदी की माता राजो का 1/30 हिस्सा था परन्तु वादी की माता का देहान्त हो चुका है जिसका अभी तक राजस्व रेकर्ड से वादी की माता का नाम डिलीट नहीं किया गया है तथा वादी की माता का एक मात्र वारिस वादी ही है जिस कारण वादी की माता राजो का हक हिस्सा वादी में निहित हो गया है इस कारण वादी का वर्तमान में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

1/30, 1/30 हिस्सा अर्थात 1/15 हिस्सा खातेदारी का है वादी अपने हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 09 के मध्य पूर्व में हुए बाहमी बंटवाड़े के अनुसार बंटवाड़ा किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित मौका दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवाडे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक रूप से तामिल नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि से परे जाकर एवं विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही हस्तगत प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है जबकि विधिनुसार कोई भी वाद दर्ज होने के पश्चात प्रतिवादीगण से जबावदावा तलब करने के पश्चात उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर एवं दोनों पक्षों की साक्ष्य सबूत व दस्तावेज अभिलेख पर लेने के पश्चात ही दोनों पक्षों की बहस सुनकर प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबावदावा की स्टेज पर पत्रावली विद्यमान होने पर भी जबावदावे का अवसर दिये बिना ही आंख बन्द कर यह प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ग्रामीण को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये विना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम सम्मन जारी किये उसके बावजूद तामील से बचने के लिए अपीलांटस द्वारा प्रयास करने पर अखबार छाया से तामिल करवाई गई। अपीलांटस अकेला ही संतुष्ट नहीं है बाकी सभी खातेदार बंटवारे से संतुष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। बंटवाड़े के आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अर्सा 10 दिन पर्व उतरदाता उक्त विभाजन प्रस्ताव की आड़ में मौके पर परिवर्तन करने पर उतारू हुए तथा अपीलकर्ता को बताया गया कि उन्होने उक्त प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी करवाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवा दिया है तथा हमने उक्त प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री जारी करवा दी है तब अपीलकर्ता बाड़मेर आकर अपने अधिवक्ता से मिला और उक्त प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की। नकले प्राप्त होने पर सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलांटस द्वारा पेश शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उसे बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 30.12.2020 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 78/2022 बअनवान प्रहलादराम बनाम गोमाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.03.2023 को यथावत रखा जाता है।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर